



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

वित्त समिति की बैठक दिनांक
26.07.2023 का कार्यवृत्त
(एफ.सी.-04 / 2023)

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, कानपुर रोड,
झाँसी(उ०प्र०)-284128



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

दिनांक 26.07.2023 की वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही

स्थान : कुलपति समिति कक्ष

समय : पूर्वान्ह 12:30 बजे

दिनांक : 26.07.2023

उपस्थिति,

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. -प्रो. मुकेश पाण्डेय
कुलपति | - | अध्यक्ष |
| 2. -डा० मुरलीधर राम
क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
झाँसी मण्डल, झाँसी
(सचिव, उच्च शिक्षा नामित) | - | सदस्य |
| 3. -श्री रामकृपाल बिन्द
अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन,
झाँसी मण्डल, झाँसी
(सचिव, वित्त अधिकारी) | - | सदस्य |
| 4. -श्री अनिल कुमार मिश्रा
मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार, झाँसी | - | सदस्य |
| 5. -श्री विनय कुमार सिंह
कुलसचिव | - | सदस्य |
| 6. -श्री राजबहादुर
परीक्षा नियंत्रक | - | सदस्य |
| 7. -वसी मोहम्मद
वित्त अधिकारी | - | सदस्य सचिव |

वित्त समिति की कार्यवाही का विवरण

(क) वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.03.2023 की सम्पुष्टि पर विचार।

एजेण्डा नोट - वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही माननीय सदस्यों को प्रेषित की गई थी। सदस्यों की ओर से किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। कृपया सम्पुष्टि करने का कष्ट करें।

समिति की कार्यवाही -

वित्त समिति की बैठक दिनांक 28.03.2023 की सम्पुष्टि समिति द्वारा की गई।

1. एजेण्डा बिन्दु संख्या - 01

वित्तीय वर्ष 2022-23 का माह मार्च 2023 तक का वास्तविक तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 का पुनरीक्षित आय-व्ययक माननीय समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। आय-व्ययक की प्रति संलग्न है।

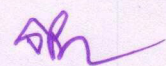
आय-व्ययक के महत्वपूर्ण बिन्दु

वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु. 134.99 करोड़ की पुनरीक्षित आय तथा रु. 113.53 करोड़ के व्यय तथा रु. 21.46 करोड़ के लाभ का पुनरीक्षित आय-व्ययक अनुमान माननीय समिति द्वारा दिनांक 28.03.2023 की बैठक में अनुमोदित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय का अनुमान रु. 134.99 करोड़ के सापेक्ष रु. 125.00 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है। जोकि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 92.60 प्रतिशत है। इसी प्रकार कुल प्रस्तावित व्यय रु. 113.53 करोड़ के सापेक्ष रु. 102.56 करोड़ की धनराशि व्यय हुई है। जोकि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 90.34 प्रतिशत है तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु. 22.45 करोड़ की शुद्ध बचत विश्वविद्यालय को हुई है।

विश्वविद्यालय की रैंकिंग बढ़ाने के लिए नैक ग्रेडेशन सम्बन्धी कार्य वर्तमान में चल रहा है तथा माह अगस्त-सितम्बर 2023 में नैक की टीम आने की सम्भावना है। विश्वविद्यालय द्वारा अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया जा रहा है कि नैक ग्रेडिंग में विश्वविद्यालय को ए++ का ग्रेड प्राप्त हो। ए++ की ग्रेडिंग से विश्वविद्यालय की बेहतर छवि जनसामान्य एवं शासन में बनेगी तथा विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार के लिए यह एक गर्व की बात होगी।


26/07/2023



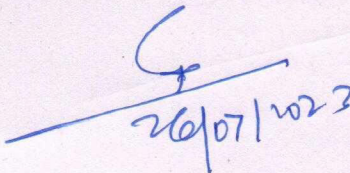
ए++ नैक ग्रेडिंग के मानक अनुसार विश्वविद्यालय को अपनी कक्षाओं को स्मार्ट क्लासरूम में विकसित किया जाना, मानक के अनुसार फर्नीचर, कम्प्यूटर-प्रिंटर एवं तत्सम्बन्धी उपकरण, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों एवं ई-लर्निंग की व्यवस्था एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना एवं उनका अनुरक्षण करना आदि सम्मिलित है जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 का पुनरीक्षित आय-व्ययक निम्नवत् प्रस्तावित किया गया है।

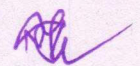
1. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व प्राप्तियों का निर्धारित लक्ष्य रु. 176.89 करोड़ को पुनरीक्षित नहीं किया गया है।
2. सभी संकायों, हॉस्टल, प्रशासनिक भवन एवं आवासीय परिसर के अनुरक्षण, सौन्दरीकरण एवं भवन निर्माण समिति द्वारा प्रस्तावित नये भवनों के निर्माण के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित व्यय रु. 173.64 करोड़ के सापेक्ष रु. 189.09 करोड़ का व्यय पुनरीक्षित किया गया है तथा रु. 12.20 करोड़ के हानि का पुनरीक्षित आय-व्ययक माननीय समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। माननीय समिति को यह भी अवगत कराना है कि पूंजीगत व्यय अंतर्गत निर्माण से सम्बन्धित कार्यों पर होने वाले व्यय का वहन, आवश्यकता अनुसार, विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व की बचतों से किया जायेगा तथा बजट का नियंत्रण मुख्य मानक मदों के अंतर्गत किया जायेगा। उपमदों में विचलन अनुमन्य रहेगा। (आय-व्ययक की प्रति संलग्न)

विश्वविद्यालय के प्रस्तावित पूंजीगत कार्यों का विवरण :-

04-पूँजीगत व्यय (नियमित)-4.02-पूँजीगत व्यय (विश्वविद्यालय की बचतों/पूर्व की बचतों से)

क्र०	व्यय का शीर्षक	मूल अनुमान	पुनरीक्षित
सं०	राजस्व मद	2023-2024	2023-2024
1	महिला छात्रावास/हॉस्टल का निर्माण	50000000	50000000
2	कक्षाओं का निर्माण (Institute of Economics & Finance)	30000000	30000000
3	ग्रीन कैपस (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) एवं अन्य ग्रीन इनीसिएटिव	1000000	2500000
4	विधि विभाग में 12 कक्षाओं का निर्माण	20000000	20000000
5	शिक्षा शास्त्र विभाग में 4 कक्षाओं का निर्माण	10000000	10000000
6	फार्मसी विभाग में 2 कक्षाओं एवं टीचर्स केबिन का निर्माण	10000000	10000000
7	कैफेटेरिया का निर्माण	6000000	6000000
8	प्रशासनिक भवन का विस्तारीकरण	80000000	80000000
9	विश्वविद्यालय एवं आवासीय परिसर की सड़कों का डामरीकरण, अनुरक्षण आदि	5000000	5000000
10	विद्युतीकरण (पैनल, पोल, ट्रान्सफार्मर आदि) बिजली विभाग मीटर आदि की स्थापना हेतु	15500000	15500000
11	करगुंवा जी स्थित कृषि फार्म/भूमि का विकास	2500000	2500000
12	आउटडोर स्टेडियम, चहारदीवारी, पार्क, सड़कों एवं नाले का निर्माण एवं छात्रावासों का विस्तार	4000000	4000000


26/07/2023

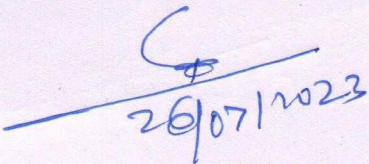


13	इन्नोवेशन सेन्टर का सुदृढीकरण, उपकरण क्रय एवं तत्सम्बन्धी व्यय (Sophisticated Analytical Instrumentation Facility),	2500000	2500000
14	प्रशासनिक एवं आवासीय भवनों की छत की मरम्मत का कार्य (ब्रिकोवा)	0	5000000
15	शिक्षकों के केबिन, टॉयलेट्स का निर्माण	10000000	10000000
16	भू-गर्भ विज्ञान विभाग में सेमिनार हॉल का निर्माण	2500000	2500000
17	फारेन्सिक साइंस विभाग में डी.एन.ए. लैब का निर्माण	5000000	5000000
18	अर्थ शास्त्र एवं वित्त विभाग में छः अतिरिक्त कक्षों का निर्माण	7500000	7500000
19	करगुवां जी फार्म हाउस की बाउण्ड्री का निर्माण	1000000	7500000
20	करगुवां जी फार्म हाउस पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण	500000	500000
21	कृषि विभाग के तृतीय तल पर छः कक्षों का निर्माण	7500000	7500000
22	कृषि संस्थान में जे.सी.बी. माउण्टेड ट्रैक्टर एवं हाईड्रोलिक ट्रॉली का क्रय	1600000	1600000
23	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	500000	1000000
24	विभिन्न विभागों में लैब का निर्माण	10000000	10000000
25	कृषि संस्थान में कान्फ्रेन्स हॉल का निर्माण	4000000	4000000
26	पर्यटन एवं होटल प्रबन्धन संस्थान में लिफ्ट की स्थापना	4000000	4000000
27	इन्कूवेशन सेन्टर की स्थापना	5000000	10000000
28	विश्वविद्यालय परिसर में सोलर लाईट की स्थापना	2000000	2500000
29	सोलर सिस्टम की स्थापना	15000000	20000000
30	विश्वविद्यालय परिसर के लिए 02 ई-कार्ट एवं ई-रिक्सा का क्रय	800000	1500000
31	छात्रावासों की मैस का उच्चीकरण	6000000	6000000
32	प्रशासनिक भवन के पीछे रिटेनिंग वाल का निर्माण	0	15000000
33	फीजियोथेरेपी भवन में स्मार्ट क्लासरूम हेतु कक्षों का निर्माण	0	5000000
34	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में स्मार्ट क्लासरूम हेतु कक्षों का निर्माण	0	5000000
35	ऑन लाइन परीक्षा हेतु केन्द्रीकृत कम्प्यूटर सेंटर भवन का निर्माण	0	15000000
36	फूड टेक्नॉलाजी विभाग में दो कक्षों एवं कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण	0	10000000
37	करगुवाजी फार्म हाउस पर दो कक्षों एवं हॉल का निर्माण	0	5000000
38	विश्वविद्यालय परिसर में साइन बोर्ड की स्थापना	0	5000000
39	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं आवासीय परिसर के मुख्य द्वार का निर्माण एवं सौन्दरीकरण	0	5000000
40	विश्वविद्यालय में स्वच्छ पेयजल हेतु केन्द्रीकृत वाटर सॉफ्टनर एवं आर.ओ. की स्थापना	0	7500000
	योग :-	319400000	416600000

पुनरीक्षित आय-व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

समिति की कार्यवाही -

वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 का वास्तविक तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 का पुनरीक्षित आय-व्ययक अनुमोदित किया गया। साथ ही आय बढ़ाने के भी निर्देश दिये गये।


26/07/2023



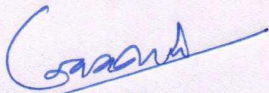
2. एजेण्डा बिन्दु संख्या - 02

भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 05.07.2023 की कार्यवाही पर विचार

भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 05.07.2023 के कार्यवृत्त में लिए गये निर्णयानुसार अनुरक्षण एवं निर्माण हेतु प्रस्तावित कार्यो हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित आय-व्ययक में कर ली गई है। प्रस्ताव माननीय वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। (समिति की कार्यवाही संलग्न)

समिति की कार्यवाही -

वित्त समिति द्वारा भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 05.07.2023 के कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।


26/07



3. एजेण्डा बिन्दु संख्या - 03

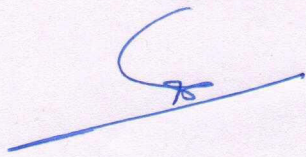
स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी को सी0पी0एफ0 से स्थायी अग्रिम दिये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय समिति को अवगत कराना है कि स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ.) नियमों से आच्छादित हैं। सी.पी.एफ. नियमों अंतर्गत कोई भी कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी को स्थायी अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। जबकि जी.पी.एफ. नियमावली अंतर्गत विभिन्न प्रयोजनों हेतु स्थायी अग्रिम स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है। स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत कार्यरत कर्मियों का वेतन नियमित कर्मियों से कम होता है एवं अस्थायी अग्रिम उन्हें 24 मासिक किश्तों में अदायगी करनी होती है, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक कठिनाईयों से गुजरना पड़ता है।

अतः प्रस्ताव है कि स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नियमित कर्मियों की भांति जी.पी.एफ. नियमावली के अधीन स्थायी अग्रिम स्वीकृत किये जाने एवं जी.पी.एफ. नियमानुसार अधिकतम 36 किश्तों में अदायगी किये जाने का प्रस्ताव माननीय वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

समिति की कार्यवाही -

वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।



4. एजेण्डा बिन्दु संख्या - 04

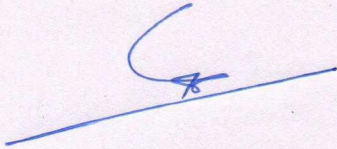
विश्वविद्यालय की विभिन्न नियमावली/पॉलसी डाक्यूमेंट का अनुमोदन

माननीय समिति के समक्ष निम्न नियमावली/पॉलसी डाक्यूमेंट अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है-

1. शिक्षकों द्वारा हाई इम्पैक्ट फैक्टर जनरल्स में पब्लीकेशन हेतु नियमानुसार शुल्क की प्रतिपूर्ति।
2. शिक्षकों द्वारा पेटेंट फाइलिंग हेतु नियमानुसार शुल्क की प्रतिपूर्ति।
3. विश्वविद्यालय में शिक्षकों के पाल्यों को प्रवेश लेने पर शैक्षणिक शुल्क पर नियमानुसार शुल्क की प्रतिपूर्ति पर व्यय।
4. कर्मचारियों को भवन निर्माण, कम्प्यूटर/लैपटॉप क्रय एवं वाहन क्रय हेतु अग्रिम।
5. कर्मचारियों को आकरिमकता पर देय अग्रिम।
6. कर्मचारियों के उत्कृष्ट कार्य हेतु नकद प्रोत्साहन धनराशि।
7. विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के पाल्यों को प्रवेश लेने पर शैक्षणिक शुल्क पर नियमानुसार शुल्क की प्रतिपूर्ति पर व्यय।
8. छात्र-छात्राओं हेतु राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय संस्थानों में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम अर्न्तगत यात्रा-भत्ता एवं अन्य देयों के भुगतान पर व्यय (फैकल्टी लीडर सम्मिलित)।

समिति की कार्यवाही -

वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।



5. एजेण्डा बिन्दु संख्या - 05

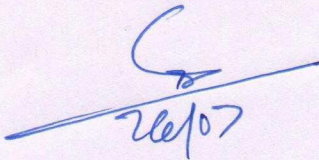
अन्य प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

एजेण्डा बिन्दु 5(1) -वेतन विसंगति समिति की बैठक दिनांक 25.07.2023 की कार्यवाही -

स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत कार्यरत कतिपय कर्मचारियों के वेतन विसंगति के सम्बन्ध में सहायक कुलसचिव (प्रशा.) एवं सहायक कुलसचिव (वित्त) की समिति गठित की गई थी। वेतन विसंगति के सम्बन्ध में समिति द्वारा अपनी संस्तुति दिनांक 25.07.2023 को प्रस्तुत की गई। (समिति की कार्यवाही/संस्तुति संलग्न)

समिति द्वारा निम्न निर्देशों के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया-

1. श्री प्रशांत शर्मा, श्री कृष्णकांत, श्री अभिनव सेठ, श्री राजेश कुमार वर्मा, श्री शैलेन्द्र निरंजन, श्री दुर्गेश नारायण शुक्ला, श्रीमती तहसीन तरन्नुम, श्री साबिर अली को वित्तीय समिति की बैठक दिनांक 04.01.2016 के अनुसार 7 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर बीस प्रतिशत की मानदेय वृद्धि इस निर्देश के साथ अनुमन्य की जाती है कि मानदेय का एरियर दिनांक 01.04.2022 अथवा उसके बाद की तिथि से ही देय होगा।
2. श्री सौरभ शर्मा एवं श्री अरशद अहमद (समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रत्यावेदन संलग्न) का वित्त अधिकारी द्वारा दोनों प्रकरणों की मानदेय विसंगति का परीक्षणोंपरांत आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जाये एवं आगामी वित्त समिति को अवगत कराया जाये।
3. वर्ष 2000 से 2004 के मध्य नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर वेतन विसंगति समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों का वित्त अधिकारी द्वारा परीक्षण कर आगामी वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।


26/07

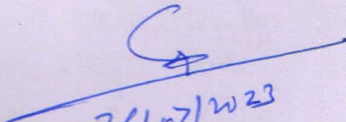


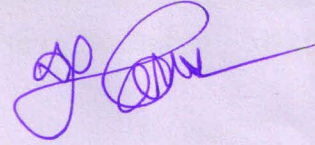
एजेण्डा बिन्दु 5(2) - स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न विभागों में पदों के सृजन के सम्बन्ध में -

स्ववित्त पोषित योजना अंतर्गत विभिन्न विभागों यथा फोरेंसिक साइंस विभाग, बायोटेक्नॉलाजी विज्ञान विभाग, बायोकेमिस्ट्री विभाग एवं कम्प्यूटर साइंस विभाग (इंजी.) में सहायक आचार्य/सह आचार्य एवं आचार्य के पदों के सृजन के सम्बन्ध में प्रशासन विभाग द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

समिति की कार्यवाही -

वित्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रशासन विभाग द्वारा छात्रों के प्रवेश की संख्या एवं शैक्षिक पदों की आवश्यकता की युक्त-युक्त परीक्षण कर सुविचारित प्रस्ताव आगामी वित्त समिति की बैठक में रखा जाये।


26/07/2023



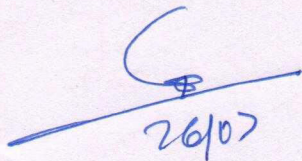
एजेण्डा बिन्दु 5(3) - उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का वार्षिक पारिश्रमिक की सीमा बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में -

परीक्षा नियंत्रक द्वारा माननीय समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत परीक्षाएं वर्ष में सेमेस्टर अनुसार 02 बार आयोजित की जाती हैं। जिसके कारण मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। कई वर्षों पूर्व यह निर्धारित किया गया था कि किसी भी शिक्षक को पूरे वर्ष में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से अधिकतम रु. 60,000/- पारिश्रमिक मिल सकता है। उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या बढ़ जाने के कारण मूल्यांकनकर्ता को निर्धारित सीमा से अधिक का मूल्यांकन किया जाता है परंतु उसे रु. 60,000/- तक का ही भुगतान किया जाता है। जिसके कारण इस प्रकार के शिक्षकों से मूल्यांकन कराया जाना संभव नहीं हो पाता है।

अतः त्वरित गति से मूल्यांकन करवाने एवं परीक्षा परिणाम समय से घोषित करने के दृष्टिगत प्रस्ताव है कि मूल्यांकन के पारिश्रमिक की सीमा रु. 60,000/- प्रतिवर्ष को संशोधित करते हुए रु. 80,000/- किये जाने का प्रस्ताव माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

समिति की कार्यवाही -

वित्त समिति द्वारा इस निर्देश के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया कि किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु अधिक से अधिक शिक्षक लगाये जाये जिससे कि समय से मूल्यांकन पूरा हो सके।


26/07

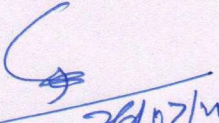


एजेण्डा बिन्दु 5(4) - विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों के संचालन हेतु धनराशि की व्यवस्था हेतु-

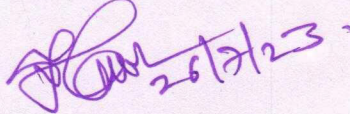
कुलसचिव द्वारा समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया कि शासन द्वारा विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों के रूप में राजकीय महाविद्यालय, माधौगढ़ जालौन एवं राजकीय महाविद्यालय, कटेरा मऊरानीपुर झांसी को संचालित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय को दिये गये हैं। जिनके संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी तथा घटक महाविद्यालयों के संचालन हेतु न्यूनतम पदों की भी आवश्यकता होगी।

समिति की कार्यवाही -

वित्त समिति द्वारा इस निर्देश के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया कि प्रारंभ में दोनों महाविद्यालयों के संचालन हेतु रु. 25,00,000/- प्रत्येक के लिए बजटीय व्यवस्था की जाती है। उक्त के अतिरिक्त पूर्व से संचालित घटक महाविद्यालयों राजकीय महाविद्यालय, जखौरा ललितपुर एवं राजकीय महाविद्यालय पाही चित्रकूट के अनुरूप पदों के सृजन का अनुमोदन किया जाता है।


(वसी मोहम्मद)
26/07/2023

वित्त अधिकारी/सचिव वित्त समिति


(प्रो० मुकेश पाण्डेय)

कुलपति/अध्यक्ष वित्त समिति